झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 27/03/2015

संख्या– 16/विविध–04–01/2015 का० 2810 / सुशासन के अन्तर्गत विकासोन्मुख, संवेदनशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। इसके सापेक्ष प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालयों की कार्य पद्धति को सशक्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची की अध्यक्षता में सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों की एक समिति गठित की गई है जो सशक्तिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करेगी। प्राप्त प्रस्ताव पर विचार कर प्रमण्डलीय आयुक्तों के कार्यालय की कार्य पद्धति के पुनर्निधारण एवं सशक्तिकरण के सम्बन्ध में अनुशंसा गठित करने हेतु हितधारक विभागों की एक समिति निम्नवत् गठित की जाती है :–

1)	अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	–	अध्यक्ष
2)	प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग	–	सदस्य
3)	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	–	सदस्य
4)	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	–	सदस्य

उक्त उच्चस्तरीय समिति प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालयों के सशक्तिकरण एवं कार्य पद्धति के पुनर्निधारण विषय पर अनुशंसा गठित कर सक्षम स्तर से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। साथ ही, एतदसम्बन्धी निर्गत निदेशों के क्रियान्वयन का समय–समय पर अनुश्रवण करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26/3/15

(एस0के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–16/विविध–04–01/2015 का०– 2810 **/राँची, दिनांक** 27/03/2015

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड/ नोडल पदाधिकारी, ई गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/15

सरकार के प्रधान सचिव।